

## बिल बढ़ाकरण स्कीम

यह स्कीम असली व्यापार लेन-देनों अर्थात् विनिर्माण/सेवा क्रियाकलापों में लगी प्रतिष्ठित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/राज्य और केंद्र सरकार के विभागों/उपक्रमों/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों (व्यापारी नहीं) को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज) द्वारा की गई आपूर्तियों से जनरेट बिलों के बढ़ाकरण को कवर करती है।

### 1. बिक्रेता

विनिर्माण/सेवा क्रियाकलापों में लगे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (व्यापारियों को अलग रखा जाएगा)।

### 2. क्रेता

- (i) राज्य और केंद्र सरकार के विभाग/उपक्रम
- (ii) पब्लिक लिमिटेड कंपनियां
- (iii) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां

### 3. खरीददार-वार सीमाओं की स्वीकृति

खरीददार इकाइयां विनिर्धारित आवेदन फार्म के अनुसार सूचना प्रस्तुत करके वार्षिक सीमाओं की स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से अनुरोध कर सकती हैं। खरीददार इकाई को उन एमएसएमईज के बारे में भी ब्योरे उपलब्ध कराने चाहिए जो खरीददार इकाई को सामानों/सेवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं।

एमएसएमईज द्वारा की गई आपूर्तियों के लिए उनके द्वारा आहरित और खरीददार द्वारा विधिवत स्वीकार किए गए बिलों (विनिमय बिल) को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पक्ष में या तो क्रेता या बिक्रेता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बैंक गारंटी की प्रतिभूति के प्रति बढ़ाकृत किया जाएगा।

### 4. क्रेता-वार सीमाओं की स्वीकृति

एमएसएमईज द्वारा की गई आपूर्तियों के प्रति एमएसएमईज द्वारा आहरित और खरीददार द्वारा विधिवत् स्वीकार किए गए बिलों (विनिमय बिलों) को

विनिर्धारित आवेदन फार्म के अनुसार सूचना प्राप्त करके उन इकाइयों के लिए वार्षिक सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं।

**5. बढ़ाकरण हेतु विचार किए जाने वाले बिलों के इस्तेमाल की अवधि**

बिलों (विनिमय बिलों) की अधिकतम इस्तेमाल अवधि 180 दिन से अधिक नहीं होगी।

**6. प्रतिभूति**

(i) सहायता के मूल्य के बराबर अनुमोदित बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी

(ii) फर्मों के मालिक, साझेदारों और कंपनी के निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी।

**7. बढ़ाकरण प्रभार (01.10.2020 से लागू)**

| विवरण   | बढ़ाकरण दर (प्रतिशत प्रति वर्ष) |      |       |
|---|---------------------------------|------|-------|
|   | सूक्ष्म                         | लघु  | मध्यम |
| सामान्य ब्याज   |                                 |      |       |
| क. इस्तेमाल अवधि तक   |                                 |      |       |
| (i) वैध एसएमई 1 रेटिंग वाली इकाइयां (एसएमईज)  | 6.50                            | 7.00 | 8.00  |
| (ii) वैध एसएमई 2 रेटिंग वाली इकाइयां (एसएमईज)   | 7.00                            | 7.50 | 8.00  |
| (iii) अन्य इकाइयां  | 7.50                            | 8.00 | 8.00  |
| यदि धनराशि की अदायगी इस्तेमाल अवधि के अंदर नहीं की जाती: ब्याज की सामान्य दर के अलावा विलंबित भुगतान (इस्तेमाल अवधि से अधिक) पर प्रति तिमाही 1.25 प्रतिशत ब्याज की अतिरिक्त दर। |                                 |      |       |

## 8. प्रोसेसिंग शुल्क

इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत और/या संवितरित सभी प्रस्ताव पर प्रोसेसिंग शुल्क नीचे उल्लिखित अनुसार लागू होगा:

| प्रोसेसिंग शुल्क  | सूक्ष्म         | लघु             | मध्यम           |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| नई स्वीकृतियों पर | 1.0% प्रति वर्ष | 1.0% प्रति वर्ष | 1.0% प्रति वर्ष |
| नवीकरण पर         | 0.5% प्रति वर्ष | 1.0% प्रति वर्ष | 1.0% प्रति वर्ष |

9. [आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें](#)

10. [आवेदन फार्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।](#)